बहन ने की आधी रात पुलिस को कॉल, भाई कर रहा झगड़ा, पुलिसकर्मी से भाई ने की बदतमीजी

शाह टाइम्स संवाददाता

नई दिल्ली। साउथ दिल्ली के महरौली थाना इलाके में एक पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी करने और मारपीट की कोशिश करने का वीडियो तेजी से वायरल ही रहा है। यह वीडियो महरोली थाना के पास का ही बताया जा रहा है। जिसमें एक सख्स एक पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई कर रहा है। गोदी में बच्चा ली हुई महिला बीच बचाव की कोशिश भी कर रही है। लेकिन आरोपी उसके बावजूद मान नहीं रहा है। जब महिला ने शोर मचाया और पुलिसकर्मी ने आरोपी का विरोध किया तो वह भागने लगा।

डीसीपी साउथ अंकित चौहान ने बताया की 24- 25 जुलाई की आधी रात पीसीआर कॉल मिली थी। एक महिला ने कॉल करके पुलिस को बताया की ष्मेरा भाई शराब पीकर हमसे झगड़ा कर रहा हैष। महरौली थाना से पुलिसकर्मी वार्ड नंबर 2 पहुंचे। पता चला की पुलिस को कॉल करने वाली महिला और उसके भाई सद्दाम के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। सद्दाम ने शराब पी रखी थी। जांच के लिए मौके पर गए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से सद्दाम झगड़ा करना और बदतमीजी करना शुरू कर दिया। उनको धक्का दिया और वर्दी में ड्यूटी पर मौजूद एएसआई के साथ बदतमीजी की। मेहरौली थाना में एएसआई के द्वारा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और आरोपी सद्दाम के खिलाफ कारवाई की जा रही है।

अवैध पिस्टल को साफ करते हुए चली गोली, सात साल की बेटी की मौत

शाह टाइम्स संवाददाता

नई दिल्ली। मॉडल टाउन इलाके में अवैध पिस्टल साफ करते हुए दीपक पाल (28) से अचानक से गोली चल गई। गोली सामने बैठी उसी की सात साल की बेटी गुन्नू के सिर में लग गई। जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस से बचने के लिये परिवार ने बेटी के शव को वजीराबाद स्थित एक शमशान घाट में दफना दिया। जिसको पुलिस ने बरामद कर पोस्टमार्टम के बाद परि. जनों को सौंप दिया। पुलिस ने मृतक बच्ची के पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पिस्टल और कारतूस का खोल आदि सबूत बरामद कर लिये हैं। पुलिस जांच में पता करने की कोशिश कर रही है कि घटना के बाद किस किसने शव को दफनाया था,उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर करने की को. शिश की जा रही है। पुलिस वजीराबाद स्थित शमशान घाट के व्यक्ति और क्लिनिक के डॉक्टर व अन्य कर्मचारियों के भी बयान दर्ज किये हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मॉडल टाउन पुलिस को बीते बुधवार शाम को मुखबिर से पता चला कि राजपुर गांव में रहने वाले दीपक पाल के घर में गोली चली थी। गोली उसकी सात साल की बेटी गुन्नू के सिर में लगी थी। मॉडल टाउन पुलिस दीपक पाल के घर पर पहुंची।

शुरूआत में परिवार ने घटना होने से मना किया। लेकिन जब गुन्नू के बारे में पूछताछ की,परिवार ने सच्चाई बताई। क्रॉइम और फॉरेंसिक टीम की मदद से घटना वाले कमरे से सबूत इक्ट्ठा किये। जबकि वजी. राबाद शमशान घाट से बच्ची के शव को निकालकर बाबू जगजीवन राम अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। गुन्नू के सिर पर गोली लगी थी। पुलिस ने परिवार के बयान दर्ज किये। पुलिस ने दीपक पाल को गिरफ्तार करके पिस्टल जब्त कर ली। दीपक पाल पर पहले भी दो केस दर्ज हैं। वह कॉरियर ब्वॉय का काम करता है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार शाम करीब सात बजे दीपक कमरे में पिस्टल को साफ कर रहा था। सामने बैड पर गुन्नू बैठकर खेल रही थी। उसी वक्त पिस्टल को कॉक करते वक्त अचानक से गोली चल गई। गोली गुन्नू के सिर पर लगी। गोली की आवाज सुनकर परिवार मौके पर पहुंचा। गुन्नू को तुरंत एक क्लिनिक में ले गए। जिसके बाद वे गुन्नू का घर पर ले आए थे। घर पर गुन्नू के मृत होने पर पुलिस से बचने के लिये परिवार कार से शव को वजीराबाद स्थित शमशान घाट पर ले गया। जहां से शव को निकाला गया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरूआती जांच में पता चला है कि पिस्टल को कुछ समय पहले दीपक लाया था,जिसका पड़ोसियों से कई बार झगड़ा हो चुका था। पिस्टल कहां से और किससे लाया था, दीपक से पूछताछ कर उसको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है।

सिसोदिया व के. कविता तीनों की न्यायिक हिरासत बढ़ी

शाह टाइम्स संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। अब आठ अगस्त को सुनवाई होगी। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल की पेशी हुई। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार किया था। सीएम केजरीवाल के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई और के.कविता की भी न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी है।

इससे पहले 12 जुलाई को अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। केजरीवाल को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया था। वह अपनी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामलों के सिलसिले में पेश हुए थे।वहीं दूसरी तरफ दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 जुलाई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें आबकारी नीति मामले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। वहीं सीबीआई ने कहा कि पूरे साक्ष्य आने पर ही कानून के तहत गिरफ्तारी की।

दुकानदार को बदमाश ने चाकू मार दिया

नई दिल्ली। अलीपुर इलाके में एक रेडीमेड गारमेंट दुकानदार को बदमाश ने चाकू मार दिया। घटना में दुकानदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनकी हालत स्थिर है। पुलिस ने हत्या की कोशिश के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अफसर का कहना है कि घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। आरोपी की पहचान कर ली है। जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। पुलिस अफसर के मुताबिक, बुधवार को अलीपुर थाने की पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली। कॉलर ने बताया कि अलीपुर रोड, एमसीडी स्कूल के पास एक शख्स को चाकू मारकर घायल कर दिया है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। जहां घटनास्थल पर एक चाकू पड़ा हुआ था। जब कि घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था। उसकी गर्दन के अगले हिस्से पर चाकू के घाव थे। घायल की पहचान सुशील कुमार के रूप में हुई। सुशील ने बयान दिया कि वह रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाते हैं।

10 दिन में एक ही तरह करंट लगने से गई दो की जान

शाह टाइम्स संवाददाता

नई दिल्ली। नीलेश की असमय मौत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। बारिश के बाद जगह-जगह जलभराव और बिजली के खंभों पर लटकते नंग तार। सोमवार को बारिश के बाद उतरे करंट से जिस तरह नीलेश की मौत हुई थी, ठीक उसी तरह भजनपुरा के यमुना विहार में 13 जुलाई को 40 वर्षीय महिला पूनम की भी मौत हो गई थी। उस दिन सुबह में जोरदार बारिश हुई थी। पूनम अपने बीमार बेटे की रिपोर्ट निजी अस्पताल में दिखाने आ रही थी। यमुना विहार की सर्विस रोड पर एक से डेढ़ फीट पानी भरा था। जैसे ही पूनम ने पानी में पैर रखा उसे जोरदार करंट लगा और वह पानी में गिर गई। दरअसल जहां हादसा हुआ था, वहां भी बिजली का खंभा मौजूद था, जिसकी वजह से पानी में करंट उतरा था। बरसात से पूर्व नालों की सफाई न होने की वजह से अक्सर गलियों और मुख्य सड़कों पर पानी भर जाता हैं। वहीं रखरखाव के अभाव में बिजली के खंभों पर लटकते नंगे तारों से अक्सर पानी में करंट उतर आता है। पटेल नगर और भजनपुरा वाले हादसे में ऐसा ही हुआ।

राजधानी के अधिकतर इलाकों में तारों का जंजाल देखा जा सकता है। इस तरह के हादसों के बाद बिजली कंपनियां थोड़ी सख्ती दिखाकर खंभों पर लटके इंटरनेट और दूसरे तरह के अतिक्रमण को हटा देती हैं। कुछ दिनों बाद इसी तरह की स्थिति दोबारा हो जाती है। परिजनों का कहना था कि जब तक प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देगा तो हादसे होते रहेंगे।

पौधा लगाने की ली कसम

शाह टाइम्स संवाददाता

नई दिल्ली। 'एक पेड़ मां के नाम अभियान' में वीरवार को गाजियाबाद,वसुंधरा सेक्टर-5 स्थित मोहन मिकिंस कर्मचारी सोसाइटी के 78 मीटर पार्क में पौधारोपण किया गया। जिसमें वसुंधरा चौकी इंचार्ज अंगद सिंह राणा कांस्टेबल उधम सिंह, समेत समाजस. ेवी मुकेश पोसवाल,अरुण सिंह चौहान और एस.एस.रावत व कॉलोनी के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया।

कार्यक्रम में दर्जनों पौधों को लगा स्वच्छ वातावरण बनाने की कोशिश की गई। कार्यक्रम में यह भी सभी से वचन लिया गया कि पौधारोपण करने के बाद उनको सभी पौधों को सुबह शाम देखभाल करके पानी व खाद जरूर देनी हैं। पौधों को एक बच्चे की तरह से पालना है। क्योंकि अभियान का नारा जिस तरह से एक पेड़ मां के नाम है। कॉलोनी में कई अन्य जगहों पर भी पौधारोपण का कार्यक्रम जोर शोर से चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में बच्चों को पौधों से होने वाले फायदे और जीवन में पौधों का कितना बड़ा महत्व है,समझाया गया। चौकी इंचार्ज अंगद सिंह राणा ने कहा कि सिर्फ पौधारोपण कर देने से ही जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, उसे संरक्षित करना भी जरूरी है, ताकि जितने पौधे लगाए जा रहे हैं, वे वृक्ष बन सकें। क्योंकि पेड़ लंबे समय तक प्रदूषण मुक्त वातावरण की कुंजी हैं क्योंकि वे ऑक्सीजन प्रदान करने, हवा की गुणवत्ता में सुधार,जलवायु सुधार,जल संरक्षण, मिट्टी संरक्षण और वन्य जीवन का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार हैं।

'एक पेड़ मां के नाम अभियान' में वसुंधरा सेक्टर-5 स्थित मोहन मिकिंस कर्मचारी सोसाइटी के पार्क में पौधारोपण किया गया। जिसमें वसुंधरा चौकी इंचार्ज अंगद सिंह राणा कांस्टेबल उधम सिंह समेत समाजसेवी मुकेश पोसवाल ने भी भाग लिया।

50 एकड़ में बनेगा सैनेटरी लैंडफिल, प्रस्ताव तैयार

शाह टाइम्स संवाददाता

नई दिल्ली। 50 एकड़ जमीन पर सैनेटरी लैंडफिल सुल्तानपुर डबास में बनेगा। इस योजना पर करीब 85 करोड़ रुपये खर्च होंगे। एमसीडी आयुक्त ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे एमसीडी सदन की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। सदन की स्वीकृति मिलने के बाद सैनेटरी लैंडफिल बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। एमसीडी आयुक्त ने प्रस्ताव के तहत सदन से सुल्तानपुर डबास में आवंटित भूमि पर सैनेटरी लैंडफिल बनाने की स्वीकृति मांगी है। इसके अलावा उन्होंने योजना पर खर्च होने वाले 85 करोड़ रुपये व्यय की मंजूरी देने का आग्रह किया है। दरअसल, सुल्तानपुर डबास में सैनेटरी लैंडफिल बनाने के लिए मिली भूमि से बड़ी संख्या में पेड़ हटाने पड़ेंगे।

केंद्र सरकार ने दिल्लीवालों को धोखा दिया: आप

शाह टाइम्स संवाददाता

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों से हर बजट में दिल्लीवालों को धोखा दिया है। दिल्लीवालों के साथ भाजपा के इस सौतेले व्यवहार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा करते हुए वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि, पिछले 10 सालों में दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को 15,59,933 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स दिया। इसके बदले दिल्ली को मात्र 7,534 करोड़ रुपये ही मिले।

वित्त मंत्री आतिशी के भाजपा शासित केंद्र सरकार से सवाल करते हुए कहा कि, महाराष्ट्र को 5 लाख करोड़ इनकम टैक्स के बदले 50,000 करोड़, कर्नाटक को 2 लाख करोड़ इनकम टैक्स पर 30,000 करोड़ रुपये का आवंटन होता है।लेकिन जब दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ रुपये का इनकम टैक्स देते हैं तो उन्हें सब मिलाकर सिर्फ 1061 करोड़ ही क्यों मिलता है?

उन्होंने कहा कि, क्या दिल्लीवालों को अपने शहर की तरक्कघ्री के लिए उनकी मेहनत की कमाई के इनकम टैक्स का हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि, भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्लीवालों के साथ ये अन्याय क्यों कर रही है? दिल्लीवालों को उनके हकघ्का पैसा क्यों नहीं

मिलता है? उन्होंने कहा कि, भाजपा केंद्र सरकार ने 10 सालों में दिल्लीवालों से 15 लाख करोड़ रुपये टैक्स लिया, लेकिन बदले में सिर्फ 7500 करोड़ रुपये दिए; यह अंग्रेजों के समय जैसा जैसा अत्याचार है। अगर केंद्र सरकार देश के बाकघ्री राज्यों को पैसा दे सकती है तो दिल्लीवालों को भी उनके हकघ्का पैसा मिलना चाहिए, ये दिल्लीवालों की माँग है।

वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि, 2 दिन पहले भाजपा शासित केंद्र सरकार ने देश का बजट प्रस्तुत किया। दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे को उठाया कि, किस तरह से दिल्ली सरकार के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय और सौतेला व्यवहार हो रहा है। उन्होंने कहा कि, दिल्ली के लोगों ने 2023-24 में सिर्फ इनकम टैक्स के रूप में ही केंद्र सरकार को 2. 07 लाख करोड़ रुपये दिए। इसके बदले दिल्ली वालों की माँग थी कि, उनके इनकम टैक्स का 5% हिस्सा 10,000 करोड़ रुपये दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिल्ली सरकार को टैक्स शेयर के रूप में मिलना चाहिए तो इसके बदले दिल्ली वालों को सिर्फ निराशा मिली और टैक्स शेयर के रूप में एक पैसा नहीं मिला। इसपर भाजपा के नेताओं का कहना है कि, दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है। दिल्ली को बेशक टैक्स शेयर नहीं मिलता लेकिन बजट में और बहुत कुछ मिलता है।

वित्त मंत्री आतिशी ने पिछले 10 साल के केंद्र सरकार के बजट के आँकड़े को प्रस्तुत करते हुए कहा कि, केंद्र सरकार के बजट के श्ट्रांसफर टू दिल्लीश डिमांड 57 के आँकड़ों से साफ हो जाएगा कि किस साल दिल्ली को कितना पैसा मिला है। उन्होंने साझा करते हुए कहा कि, 2023-24 में दिल्लीवालों ने केंद्र सरकार को 2.07 लाख करोड़ रुपये का इनकम टैक्स दिया। इसके बदले डिमांड 57 के सभी 7 मदो को मिलाकर केंद्र सरकार ने दिल्ली को मात्र 1168 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ।

हत्या करने के बाद दोस्तों के साथ अमरानाथ यात्रा करने गए बदमाश को पकड़ा

शाह टाइम्स संवाददाता

नई दिल्ली। ख्याला इलाके में युवक की बेसबॉल से पीट पीटकर हत्या करने के बाद अमरनाथ यात्रा पर गए बदमाश अरुण उर्फ रिक्की को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जम्मू से गिरफ्तार किया है। 2021 से आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था और ठिकाने बदलकर रह रहा था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तीन जनवरी 2021 की रात को अरुण उर्फ रिक्की ने अपने साथियों के साथ बेसबॉल बैट से सतेंद्र उर्फ भोला पर जानलेवा हमला कर हत्या कर दी थी।

वारदात के बाद से ही आरोपी फरार हो गया था। जिसकी गिरफ्तारी के लिये पुलिस टीम ने उसके संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की थी। हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार को आरोपी के बारे में जानकारी मिली थी। वह दोस्तों के साथ कार से अमरनाथ यात्रा पर गया है। एसीपी अजय कुमार की देखरेख में इंस्पेक्टर संजय कुमार के निर्देशन में एसआई अंशु कादियान, एएसआई राजेंद्र, एएसआई विनोद कुमार, एएसआई सतीश कुमार, हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार, जय प्रकाश,रवि कुमार, महिला हेड कांस्टेबल कृतिका और कांस्टेबल ममता को आरोपी को पकड़ने का जिम्मा सौंपा गया। पुलिस टीम ने जम्मू और श्रीनगर में लगभग 100 अमरनाथ तीर्थयात्रियों के शिविरों और होटलों की तलाशी ली। जम्मू और श्रीनगर में टीम द्वारा लगभग 150 कारों की भी जांच की गई। जिसके बाद कठुआ टोल प्लाजा पर एक संदिग्ध कार को रोका। कार से आरोपी अरुण उर्फ रिक्की को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि अपने परिवार के अवैध शराब के कारोबार को देखते हुए उसने भी स्कूल छोडने के बाद अवैध शराब बेचना शुरू कर दिया। 2018 में उसने काजल नाम की लडकी से शादी कर ली। उसके दोस्त विक्की ने मृतक सतेंद्र उर्फ भोला से पैसे उधार लिए थे।

वारदात की रात को जब वे अपने दोस्तों शाहनवाज उर्फ सैम, हिमांशु उर्फ विक्की और ऋतिक उर्फ गोलू के साथ शराब पी रहे थे। सतेंद्र उर्फ भोला वहां पहुंचा और तुरंत पैसे वापस करने पर जोर दिया और विक्की को गाली देनी शुरू कर दी। गुस्से में और नशे में उसने और उसके दोस्तों ने बेसबॉल के बैट से सतेंद्र उर्फ भोला पर हमला कर दिया, जिससे सतेंद्र उर्फ भोला की मौत हो गई इस मामले में उसके भाई अक्षय उर्फ गोलू, साथी रितिक लाल, हिमांशु उर्फ गोलू और सुश्री उषा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

SHRIRAM HOUSING FINANCE

श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

मुख्य कार्यालय: लेवल-3, वॉकहार्ट टॉवर्स, ईस्ट विंग सी-2 ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई-400 051, **फोन:** 022 4241 0400, 022 4060 3100; **वेबसाईट:** http://www.shriramhousing.in. **पंजीकृत कार्यालय:** नं0 123, अंगप्पा नाईकन स्ट्रीट, चेन्नई- 600 001; **शाखा कार्यालय:** एल1&एल2, एसबीआई बैंक के ऊपर, गुरूद्वारा रोड, ग्रीन पार्क एक्सटेनशन, नई दिल्ली-110016.

परिशिष्ठ-IV-A (नियम 9(1) का प्रावधन देखें) **अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है आम जनता के लिए और विशेष रूप से ऋणी और गारंटर के लिए कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका भौतिक कब्जा श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। **दिनांक 16 अगस्त 2024 को सुबह 11:00 बजे से अपरान्ह 1:00 बजे के बीच ई-नीलामी में 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है'** के आधार पर बेचा जाएगा। श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को बकाया राशि की वसूली के लिए उधारकर्ताओं और गारंटरों से, जैसा कि तालिका में उल्लेख किया गया है। उधारकर्ताओं और गारंटरों का विवरण, देय राशि, अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण और उस पर ज्ञात भार, कब्जे का प्रकार, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा और वेतन वृद्धि भी नीचे दी गई है:

उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/ जमानतदार/ बंधककर्ता के नाम	13(2) मांग सूचना की दिनांक और राशि	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित राशि (रू.) और बोली वृद्धि	धरोहर राशि जमा विवरण (ईएमडी) विवरण	नीलामी की दिनांक और समय	सम्पर्क व्यक्ति और निरीक्षण दिनांक
श्रीमती कौशल्या पत्नी श्री करमवीर मकान नंबर 83, पहली मंजिल, ब्लॉक-III, इरोज गार्डन, सूरजकुंड, फरीदाबाद हरियाणा - 121009. इसके अलावा: विला नंबर-50, पहली मंजिल, ब्लॉक-V, इरोज गार्डन, सूरजकुंड, फरीदाबाद हरियाणा -121009. श्री करमवीर पुत्र श्री प्रकाश विला नंबर-50, प्रथम तल, ब्लॉक-V, इरोज गार्डन, सूरजकुंड, फरीदाबाद हरियाणा - 121009. इसके अलावा : हाउस नंबर 83, प्रथम तल, ब्लॉक-III, इरोज गार्डन, सूरजकुंड, फरीदाबाद हरियाणा - 121009. इसके अलावा: मकान नंबर सी-33, शिव पार्क, खानपुर, नई दिल्ली - 110062. ऋण खाता संख्या- SHLHDLHI0000805 कब्जे की दिनांक और कब्जे का प्रकार 28- फरवरी-2024 भौतिक कब्जा भार ज्ञात ज्ञात नहीं	25-अक्टूबर-2023 रू. 53,92,011/- (रुपये तिरेपन लाख बानवे हज़ार ग्यारह मात्र)	यह सभी हिस्से और पार्सल पर आवासीय संपत्ति/ निवास इकाई, स्पेस नंबर-1, प्रथम तल पर, सुपर एरिया लगभग- 1408 वर्ग फीट, प्लॉट नंबर-50 पर विला, ब्लॉक-V, इरोज गार्डन, सूरजकुंड, फरीदाबाद हरियाणा- 121009 उक्त संपत्ति की सीमाएं:- उत्तर: 30 चौड़ी सड़क दक्षिण: प्लॉट 51/V पूर्व : प्लॉट 49/V पश्चिम: अन्य संपत्ति	रू. 30,00,000/- (रूपये तीस लाख मात्र) बोली वृद्धि: रू. 10,000/- और ऐसे गुणकों में धरोहर राशि जमा (ईएमडी) (रू.) रू. 3,00,000/- (रूपये तीन लाख मात्र) ईएमडी जमा करने की अन्तिम दिनांक 13- अगस्त- 2024 सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक	ईएमडी राशि आरटीजीएस /एनईएफटी/डिमांट ड्राफ्ट के माध्यम से निम्न वर्णित खातों में जमा किया जा सकता है। बैंक का नाम- एक्सिस बैंक लिमिटेड शाखा - बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई बैंक खाता सं.- चालू खाता नं. 911020045677633 IFSC CODE- UTIB0000230	16 अगस्त 2024 समय: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक	संजीव शर्मा 9810328494 सम्पत्ति निरीक्षण दिनांक: 08 अगस्त 2024 समय सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की वेबसाइट और नीलामी सेवा प्रदाता वेबसाइट **https://www.bankeauctions.com** में दिए गए लिंक **htlp://shriramhousing.in/e-auction-Residential** को देखें।
संशोधित सरफेसी अधिनियम, 2002 के अनुसार नियम 9(1) के तहत बाद की बिक्री के लिए वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना।
गिरवी रखने वालों/उधारकर्ताओं को नीलामी से पहले अतिरिक्त ब्याज के साथ कुल बकाया का भुगतान करने का आखिरी मौका दिया जाता है, अन्यथा सुरक्षित संपत्ति उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार बेची जाएगी।
गिरवी रखने वालों/उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि वे संपत्ति के अंदर मौजूद सभी चल वस्तुओं को वापस ले लें।
ध्यान दें: कृपया ध्यान दें कि सुरक्षित ऋणदाता सभी उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को स्पीड/पंजीकृत डाक द्वारा बिक्री नोटिस जारी करने जा रहा है। यदि यह किसी भी पक्ष को प्राप्त नहीं होता है, तो बिक्री सूचना के इस प्रकाशन को सेवा का एक प्रतिस्थापित तरीका माना जा सकता है।
स्थान:- फरीदाबाद
दिनांक:- 26.07.2024
हस्ताक्षर- अधिकृत अधिकारी
श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड।

SHRIRAM HOUSING FINANCE

श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

मुख्य कार्यालय: लेवल-3, वॉकहार्ट टॉवर्स, ईस्ट विंग सी-2 ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई-400 051, **फोन:** 022 4241 0400, 022 4060 3100; **वेबसाईट:** http://www.shriramhousing.in. **पंजीकृत कार्यालय:** ऑफिस नं0 123, अंगप्पा नाईकन स्ट्रीट, चेन्नई- 600 001; **शाखा कार्यालय:** एल1, एल2, एसबीआई बैंक के ऊपर, गुरूद्वारा रोड, ग्रीन पार्क एक्सटेनशन, नई दिल्ली-110016.

परिशिष्ठ-IV-A (नियम 8(6) का प्रावधन देखें) **अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता और खास तौर पर उधारकर्ता/ओं और गारंटर/ओं को यह सूचना दी जाती है कि श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास गिरवी रखी गई/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जिनका भौतिक कब्ज़ा श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उन्हें **"जहां है, जैसा है"** और **"जो कुछ भी है"** के आधार पर ई-नीलामी में बेचा जाएगा, ताकि उधारकर्ताओं और गारंटरों से श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को देय शेष राशि की वसूली की जा सके, जैसा कि तालिका में बताया गया है। उधारकर्ताओं और गारंटरों का विवरण, देय राशि, अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण और उस पर ज्ञात भार, कब्ज़ा प्रकार, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि, नीलामी की तिथि और समय भी इस प्रकार दिया गया है:

उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/ जमानतदार/ बंधककर्ता के नाम	13(2) मांग सूचना की दिनांक और राशि	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित राशि (रू.) और बोली वृद्धि	धरोहर राशि जमा विवरण (ईएमडी) विवरण	नीलामी की दिनांक और समय	सम्पर्क व्यक्ति और निरीक्षण दिनांक
श्री सौरभ डागा पुत्र श्री आदेश मोहन डागा डी-285, द्वितीय तल, विवेक विहार, दिल्ली 110095 इसके अलावा: आर1/904, गार्डेनिया ग्लैमर, सेक्टर 3, वसुंधरा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201012 इसके अलावा: कार्यालय नं. 712, सातवीं मंजिल, देविका टॉवर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं. 4ए और 4बी, चंदर नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201011 श्रीमती रिया डागा पत्नी श्री सौरभ डागा डी-285, द्वितीय तल, विवेक विहार, दिल्ली - 110095 इसके अलावा: आर1/904, गार्डेनिया ग्लैमर, सेक्टर 3, वसुंधरा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201012 इसके अलावा: ऑफिस नंबर 712, 7वीं मंजिल, देविका टॉवर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नंबर 4ए और 4बी, चंदर नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201011. कब्जे की दिनांक और कब्जे का प्रकार 13- जुलाई-2024 भौतिक कब्जा भार ज्ञात ज्ञात नहीं	24-जून-2021 11-06-2021 को रू. 22,95,371/- (रुपये बाईस लाख पिचानवें हज़ार तीन सौ इकाहत्तर मात्र) ऋण खाता के संदर्भ में - SLPHDLHI 0000446	संपत्ति निर्मित नम्बर कार्यालय नम्बर 712, 7वीं मंजिल, प्लॉट संख्या 4 ए और 4 बी, देविका टावर्स में स्थित, निर्मित क्षेत्रफल 47.21 वर्ग मीटर, चंदर नगर, वाणिज्यिक परिसर, तहसील और जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। निम्नानुसार सीमा:- पूर्व- 40 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम-खुला, उत्तर-पुलिस चेक पोस्ट दक्षिण- अन्य आवासीय भवन कुल बकाया दिनांक 11-जून-2021 को रू. 22,95,371/- (रुपये बाईस लाख पंचानबे हज़ार तीन सौ इकहत्तर मात्र)	रू. 20,00,000/- (रूपये बीस लाख मात्र) बोली वृद्धि: रू. 10,000/- और ऐसे गुणकों में धरोहर राशि जमा (ईएमडी) (रू.) रू. 2,00,000/- (रूपये दो लाख मात्र) ईएमडी जमा करने की अन्तिम दिनांक 29- अगस्त- 2024 शाम 05:00 बजे तक	ईएमडी राशि आरटीजीएस /एनईएफटी/डिमांट ड्राफ्ट के माध्यम से निम्न वर्णित खातों में जमा किया जा सकता है। बैंक का नाम- एक्सिस बैंक लिमिटेड शाखा - बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई बैंक खाता सं.- चालू खाता नं. 911020045677633 IFSC CODE- UTIB0000230	03 सितम्बर 2024 समय: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक	संजीव शर्मा 9810328494 श्री निखिल कुमार 7053869593 अशफाक पटका 9819415477 कस्टमर केयर नं. 022-40081572 सम्पत्ति निरीक्षण दिनांक: 26 अगस्त 2024 सुबह 11:00 बजे से 04:00 बजे तक

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की वेबसाइट और नीलामी सेवा प्रदाता वेबसाइट **https://www.bankeauctions.com** में दिए गए लिंक **htlp://shriramhousing.in/e-auction-Residential** को देखें।
संशोधित सरपफेसी अधिनियम, 2002 के अनुसार नियम 9(1) के तहत बाद की बिक्री के लिए वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना।
गिरवी रखने वालों/उधारकर्ताओं को नीलामी से पहले अतिरिक्त ब्याज के साथ कुल बकाया का भुगतान करने का आखिरी मौका दिया जाता है, अन्यथा सुरक्षित संपत्ति उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार बेची जाएगी।
गिरवी रखने वालों/उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि वे संपत्ति के अंदर मौजूद सभी चल वस्तुओं को वापस ले लें।
ध्यान दें: कृपया ध्यान दें कि सुरक्षित ऋणदाता सभी उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को स्पीड/पंजीकृत डाक द्वारा बिक्री नोटिस जारी करने जा रहा है। यदि यह किसी भी पक्ष को प्राप्त नहीं होता है, तो बिक्री सूचना के इस प्रकाशन को सेवा का एक प्रतिस्थापित तरीका माना जा सकता है।
स्थान:- गाजियाबाद
दिनांक:- 26.07.2024
हस्ताक्षर- अधिकृत अधिकारी
श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड।